

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठारानी अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 109/2022

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र श्री डालू रेगर नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. पप्पू पुत्र श्री भगवान अहीर नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्रीमती राधा पत्नी श्री सीताराम अहीर नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. बंशी पुत्र श्री भैरू रेगर नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. श्रीमती मोहनी पत्नी श्री भैरू रेगर नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 03.11.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा प.ह. औज्याडा भू०अ०नि० क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 925 की कृषि भूमि की आ०न० 2540/1862 रकबा 0.1264 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 एवं 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम औज्याडा प.ह. औज्याडा भू०अ०नि० क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 925 की कृषि भूमि की आ०न० 2540/1862 रकबा 0.1264 है० जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 200/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 03.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

3
(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)